## <u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103000892010</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—416 / 10</u> संस्थापित दिनांक—06.10.10

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।

त्विरुद्ध

01—इंदर उर्फ इंदल पुत्र कुंदन सिंह जाति राजपूत उम्र 19
साल निवासी रेहटवास

02—देवीसिंह पुत्र लालाराम जाति राजपूत उम्र 38 साल
निवासी रेहटवास।

......आरोपीगण

राज्य द्वारा :-- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा :-- श्री योगेंद्र जैन अधिवक्ता।

## —ः <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 24.03.2017 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र पिपरई, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354, 323, 294, 506बी, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहतगण से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 294, 323, 506बी के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 354 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी राधाबाई ने दिनांक 26.09.10 को आरक्षी केंद्र पिपरई में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह घटना दिनांक को शाम करीब आठ बजे अपनी बहन रानी के लेटिन गई थी तभी इंदल सिंह रेहटवास तरफ से आया और उसने अपनी मोटरसाईकिल खडी करके बुरी नीयत से उसका हाथ पकड लिया। जब उसने उसे डांटा तो वह चला गया। इसी बात पर से सेबेरे करीब 9 बजे इंदल सिंह राजपूत व देवीसिंह राजपूत उसके फूफा काशीराम के घर रेंहटवास गांव में आ गए और उसके फूफा को मां—बहन की बुरी—बुरी गालियां बकने लगे और जब गाली बकने से मना किया तो दादा दयाराम को देवीसिंह ने लाठी से मारा जिससे उन्हें चोट आई। जब मुन्नी ने रोका तो इंदल सिंह ने लाठी से मारा जिससे उन्हें चोट आई। जब मुन्नी ने रोका तो इंदल सिंह ने लाठी से मारा जिससे उन्हें भी चोट आई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक 174/10 के अंतर्गत भादिव की धारा 354, 323, 294, 506, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 323, 294, 506बी, 354 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 25.09.10 को रात्रि 8 बजे ग्राम रेहठवास काशीराम बंजारा के मकान के पास राधा जो कि एक स्त्री है उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हाथ पकडकर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

## -:: सकारण निष्कर्ष ::-

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 रानी, अ.सा. 02 मुन्नीबाई, अ.सा. 03 राधाबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

अभियोजन साक्षी 01 रानी ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक 08-को आरोपीगण का उसकी मां मुन्नीबाई एवं पिता काशीराम से कहासूनी एवं झगडा हो गया था। उक्त साक्षी के अनुसार झगडे की आवाज सुनकर वह मौके पर पहुंच गई थी तथा इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी इंदलसिंह ने बुरी नीयत से राधा का हाथ पकड लिया था। इसी प्रकार अ. सा. 02 मुन्नीबाई ने अपने कथन में बताया है कि बच्चों की लडाई पर से उसका आरोपीगण से झगडा हो गया था तथा कहासूनी हो गई थी। उक्त साक्षी ने भी इस बात से इंकार किया है कि आरोपी इंदलसिंह ने राधा का बुरी नीयत से हाथ पकड लिया था। अ.सा. 03 राधाबाई ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसकी आरोपीगण से कहासुनी हो गई थी जिसके संबंध में उसने रिपोर्ट प्रपी 03 लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी इंदलसिंह ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड लिया था। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसमें से एक भी साक्षी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी इंदलसिंह द्वारा राधाबाई का बुरी नीयत से हाथ पकडा गया था। इस प्रकार दोनों आरोपीगण के विरुद्ध उक्त अपराध प्रमाणित नहीं होता।

- 09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादि की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे।
- 12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)